उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक सी– 61 /लेखा/2017–18 दिनांक 26.10.2017

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय में प्राप्त होने वाले त्रैमासिक ट्रायल बैलेंस की समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य संज्ञान में आये हैः–

1. ऋणी कृषकों के खाते में प्रत्येक 06 माह में (30 सितम्बर व 31 मार्च) ब्याज लगाये जाने के निर्देश दिये गये है परन्तु शाखाओं द्वारा 30 सितम्बर को ब्याज की गणना कर लेखा प्रविष्टि पारित नहीं की जा रही है।
2. ऐसे ऋण खाते जो 30 सितम्बर को एन0पी0ए0 की श्रेणी में आच्छादित हो गये है,उनमें नियमानुसार पूर्व में आगणित ब्याज को आई0एन0सी0 एकाउन्ट में ट्रान्सफर नहीं किया जा रहा है।
3. शाखा स्तर पर प्राप्त की गई सावधि जमाओं में छः माही आधार पर (30 सितम्बर व 31 मार्च) ब्याज लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों का अनुपालन शाखाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण बैंक के छः माही ब्याज भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।
4. शाखा पर समस्त प्रकार की प्राप्तियां एवं व्ययों की लेखा प्रविष्टि दैनिक आधार पर किये जाने के निर्देश है जिनका अनुपालन शाखाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप शाखाओं के आय/व्ययों का त्रैमासिक/छःमाही आंकलन किया जाना एवं भविष्य हेतु नीति निर्धारण का कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
5. एन0पी0ए0 ऋण खातो में वसूली होने पर तद्समय इसकी लेखा प्रविष्टि आई0एन0सी0 एकाउन्ट में नहीं की जा रही है।
6. शाखाओं के व्ययों को उसकी आय के अनुरूप ही किया जाये जिससे कि शाखायें स्वावलम्बी हो सके।

कृपया उक्त बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस परिपत्र को अन्तिम चेतावनी के रूप में समझा जायें। भविष्य में ऐसी त्रुटियां पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

26/10/17

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबंधक श्रेणी–3(सम्प्रेक्षण) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0–लखनऊ को इस आशय से कि प्रधान कार्यालय स्तर से शाखाओं के अंकेक्षण हेतु भेजी जा रही टीमों को उक्त बिन्दुओं को अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित कर दें।
2. समस्त मण्डलीय,पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ
3. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
4. प्राचार्य,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Path:- Sending Mail → C-61 lekha.docx